संयुक्त प्रांत मोटर वाहन आवश्यकता (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1947

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1947]

संयुक्त प्रांत मोटर वाहन आवश्यकता (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1947[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1947]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1950

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1958

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1970

द्वारा संशोधित

कानूनों के अपनाने के आदेश द्वारा अपनाया और संशोधित किया गया।

[7 नवंबर, 1947 को संयुक्त प्रांत विधान सभा द्वारा और 2 दिसंबर, 1947 को संयुक्त प्रांत विधान परिषद द्वारा पारित किया गया।]

[भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 75 के तहत 22 दिसंबर, 1947 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई, जैसा कि भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा अनुकूलित किया गया और 22 दिसंबर, 1947 को संयुक्त प्रांत सरकार राजपत्र, असाधारण में [2]प्रकाशित किया गया।]

प्रस्तावना

चूँकि मोटर वाहनों के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करना समीचीन है:

इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) इस अधिनियम को संयुक्त प्रांत मोटर वाहन अधिग्रहण (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1947 कहा जा सकता है;

(2) यह पूरे [3][उत्तर प्रदेश] पर लागू होता है:

(3) [4][यह उस तारीख को लागू हुआ माना जाएगा जिस दिन इसे पहली बार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था)।]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए कृपया राजपत्र असाधारण, दिनांक 15 सितंबर, 1947, पृष्ठ 1 देखें, चर्चा के लिए एल.ए. प्रो, दिनांक 7 नवंबर, 1947, खंड XLIII, पृष्ठ 374–380, दिनांक 15 मार्च, 1948, खंड XLVI में देखें। पृ. 514–515 और एल. सी. प्रो., दिनांक 10 नवम्बर और 2 दिसम्बर, 1947, क्रमशः खण्ड X, पृ. 11 और 208–220 में और दिनांक 15 मार्च, 1948, खण्ड XI, पृ. 20 में।

2 देखें गजट दिनांक 28 अगस्त, 1948। अंग्रेजी संस्करण के लिए पी.एल. VII–ए, पृ. 63–64 और हिन्दी संस्करण के लिए गजट. एक्सट्रा, दिनांक 22 दिसम्बर, 1947।

3 ए0ओ0,1050 द्वारा संयुक्त प्रान्त के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1950 की धारा 2 द्वारा संयुक्त प्रान्त के स्थान पर प्रतिस्थापित। (3) जो इस प्रकार था :–

क्षेत्र	अधिसूचना, यदि कोई हो, जिसके तहत लागू	अधिनियम या आदेश जिसके तहत विस्तारित	तारीख जिससे लागू
1	2	3	4
1. रामपुर जिला	रामपुर (कानून का अनुप्रयोग) अधिनियम, 1950		30 दिसंबर, 1949 1 जुलाई, 1950
2. बनारस जिला	बनारस (कानून का अनुप्रयोग) आदेश, 1949		
3. टेहरी गढ़वाल जिला	टिहरी–गढ़वाल (कानून का अनुप्रयोग) कानून आदेश, 1949 का विवरण	सं. 3262 (1) दिनांक 30 नवंबर, 1949	–तदैव–

* संदेहों के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान थी, 22 दिसंबर, 1947 से इस अधिनियम के प्रारंभ तक की अवधि के दौरान मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेश, कार्रवाई या की गई कार्यवाही, जारी किए गए सभी निर्देश या प्रयोग किए गए अधिकार कानून की दृष्टि में वैसे ही अच्छे और वैध माने जाएंगे मानो ऐसे आदेश, कार्रवाई या की गई कार्यवाही, निर्देश और अधिकार इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से लिए गए हों या जारी किए गए हों या प्रयोग किए गए हों।''

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,–

(क) ''मोटर वाहन'' से अभिप्राय किसी यांत्रिक रूप से चालित वाहन से है, जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है, चाहे उसमें शक्ति या प्रणोदन किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित हो।

(ख) ''स्वामी'' में वह व्यक्ति शामिल है, जहाँ मोटर वाहन को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति अवयस्क है, ऐसे अवयस्क का अभिभावक, तथा ऐसे मोटर वाहन के संबंध में, जो किराया–खरीद समझौते का विषय है, उस समझौते के तहत वाहन के कब्जे में व्यक्ति शामिल है;

(ग) ''निर्धारित'' से अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है

(घ) [1][राज्य सरकार] का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

मोटर वाहनों का अधिगृहीत करना

[2][**3**–(1) यदि राज्य सरकार की राय में भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, लोक सुरक्षा, सैन्य अभियानों के कुशल संचालन या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति के रखरखाव के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी मोटर वाहन को अधिगृहीत कर सकती है और ऐसा अतिरिक्त आदेश भी दे सकती है जो उसे अधिगृहीत करने के संबंध में आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(2) अधिगृहीत करना लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार मालिक मानती है या मोटर वाहन के कब्जे या नियंत्रण में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा और ऐसा आदेश निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को तामील किया जाएगा जिसे वह संबोधित किया गया है।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (2) के अधीन आदेश तामील किया गया है, मोटरयान को उसमें उल्लिखित प्राधिकारी के कब्जे में देने में असफल रहता है या चूक करता है तो ऐसा प्राधिकारी मोटरयान को किसी ऐसे व्यक्ति से जब्त कर सकता है जो उस समय उस पर कब्जा रखता हो।

(4) जहां राज्य सरकार ने इस धारा के अधीन कोई वाहन अधिगृहीत किया है वहां वह अधिगृहीत किए जाने की अवधि के लिए राज्य सरकार में निहित हो जाएगा और राज्य सरकार या उस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उससे ऐसी रीति से व्यवहार कर सकेगा जो उसे समीचीन प्रतीत हो।]

प्रतिकर

[3][**4**–(1) जब कभी कोई मोटरयान धारा 3 के अधीन अधिगृहीत किया जाता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर दिया जाएगा जिसकी राशि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस क्षेत्र में ऐसे वाहन के किराये के लिए धारा 4–क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित दर के आधार पर निर्धारित की जाएगीः

बशर्ते कि जहां ऐसे वाहन का स्वामी इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की राशि से व्यथित होकर मामले को मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करता है, वहां भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे;

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जहां अधिग्रहण से ठीक पहले वाहन एक किराया–खरीद समझौते का विषय था, अधिग्रहण के संबंध में देय कुल मुआवजे के रूप में इस उप–धारा के तहत निर्धारित राशि को किराएदार और वित्तपोषक के बीच इस तरह से विभाजित किया जाएगा जैसा कि वे सहमत हो सकते हैं, और समझौते के अभाव में, इस

1. संयुक्त प्रान्त के लिये ए0ओ0 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1970 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

तरह से विभाजित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त मध्यस्थ तय कर सकता है।

(2) मध्यस्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है।

(3) उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ का पंचाट होगा

(4) इस धारा के अधीन मध्यस्थता से संबंधित सभी अन्य मामले इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और ऐसे नियमों में दिए गए प्रावधान के सिवाय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की कोई बात इस पर लागू नहीं होगी।,

ईंधन, स्नेहक आदि के मद में प्रभार

[1][**4–ए** जहां किसी वाहन को धारा 4 के अधीन अधिगृहीत किया गया है, वहां निम्न के मद में प्रभार–

(क) ऐसे अस्थायी अधिग्रहण के मद में वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाला सड़क कर।

(ख) ऐसे वाहन के संचालन के लिए आवश्यक ईंधन और स्नेहक; और

(ग) ऐसे मामले में जहां वाहन व्यापक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया है, अधिग्रहण की अवधि के दौरान दुर्घटना की स्थिति में वाहन को हुई क्षति की मरम्मत का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा; और

(1) निम्नलिखित के लिए व्यय –

(क) चालक और क्लीनर या कंडक्टर का वेतन, और

(ख) वाहन को सड़क पर चलने योग्य बनाए रखने के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए सामान्य मरम्मत, वाहन के स्वामी द्वारा भुगतान किया जाएगाः

बशर्ते कि मोटर साइकिल के मामले में चालक या क्लीनर के लिए कोई व्यय पूर्वोक्त रूप से नहीं दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि जहां वाहन का स्वामी पूर्वोक्त प्रभारों का भुगतान करने से इंकार करता है या असफल रहता है, वहां [2][राज्य सरकार] धारा 4 के अधीन स्वामी को देय मुआवजे की राशि से उन्हें काट सकती है।

सूचना देने और मोटर वाहन को न हटाने के आदेश

5–राज्य सरकार, धारा 3 के अधीन किसी मोटर वाहन का अधिग्रहण करने या धारा 4 के अधीन देय मुआवजे का निर्धारण करने की दृष्टि से आदेश द्वारा

(क) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मोटर वाहन से संबंधित अपने कब्जे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए।

(ख) यह निर्देश दे कि स्वामी या मोटर वाहन के कब्जे में रहने वाला व्यक्ति, राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसका निपटान नहीं करेगा या उसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक उस परिसर से नहीं हटाएगा, जिसमें वह रखा गया है।

प्रवेश और निरीक्षण

6–राज्य द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और किसी मोटर वाहन का निरीक्षण यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कर सकती है कि किराए पर चलने वाले ऐसे मोटर वाहन को अधिग्रहित किया जाना चाहिए या नहीं।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1958 द्वारा जोड़ा गया।
2. संयुक्त प्रान्त के लिये ए0ओ0, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

भागों आदि को हटाने से रोकना

7–किसी मोटर वाहन का कोई भी स्वामी या उसके कब्जे में कोई भी व्यक्ति धारा 3 के अधीन आदेश की तामील के पश्चात् किसी भाग, टायर, ट्यूब या किसी अन्य सहायक उपकरण को नहीं हटाएगा या किसी भी तरह से मोटर वाहन को इस प्रकार क्षति नहीं पहुंचाएगा कि ऐसे वाहन की उपयोगिता कम हो जाए।

निर्देशों का अनुपालन

8–राज्य सरकार, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से, जो किसी मोटर वाहन या मोटर वाहनों के वर्ग का स्वामी है या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में है, ऐसे निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा कर सकती है, जैसा कि वह लिखित रूप में दे सकती है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

9–राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि कोई भी [1]शक्ति या कर्तव्य जो राज्य सरकार, को प्रदान किया गया है या उस पर लगाया गया है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उस निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा।

संरक्षण

10–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या ऐसे किसी नियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने का इरादा वाली किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या ऐसे किसी नियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने का इरादा वाली किसी बात से हुई या होने की संभावना वाली किसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

बचत

11–(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी आदेश किसी भी नियम में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) जहां कोई आदेश इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया या हस्ताक्षरित माना जाता है, वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ में यह माना जाएगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा किया गया था।

दंड

12–यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपए से अनधिक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

गिरफ्तार करने की शक्ति

13–कोई भी पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उचित रूप से संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है।

आदेशों का जारी रहना, यू.पी. अध्यादेश संख्या टप्प्, 1947

14–संयुक्त प्रांत मोटर वाहन अधिग्रहण (आपात शक्तियां) अध्यादेश, 1947 के तहत किया गया कोई भी आदेश, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू था, लागू रहेगा और इस अधिनियम के तहत किया गया आदेश माना जाएगा, और किसी भी ऐसे आदेश के तहत जारी किए गए सभी निर्देश और इसके प्रारंभ होने से तुरंत पहले लागू रहेंगे और इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किए गए माने जाएंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकती है।

[2][X X X X]

नोट :– हिन्दी अनुवादित प्रति।

1. शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए, अधिसूचना देखें। संख्या बी–373/XXV–सी–एक्स, दिनांक 4 फरवरी, 1948, अतिरिक्त, राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी,
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1970 की धारा 4 द्वारा अनुसूची को हटाया गया।